न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 17/2022
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/23

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेसपोण्डेंट्स:–
ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर	बनाम	श्री नरेश चन्द्र पिता विटला निवासी बांसला, राम मन्दिर के पास, तहसील बागीदौरा, बॉसवाडा, **At also** – श्री नरेश चन्द्र पिता विटला सर्वे नं. 1391, बांसला, राम मन्दिर के पास, तहसील बागीदौरा, बॉसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 21–06–2022

ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर **श्री नरेश चन्द्र पिता विटला निवासी बांसला, राम मन्दिर के पास, तहसील बागीदौरा, बॉसवाडा, At also – श्री नरेश चन्द्र पिता विटला सर्वे नं. 1391, बांसला, राम मन्दिर के पास, तहसील बागीदौरा, बॉसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता)** को दिनांक 15–02–2019 को 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थी नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सका और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 05–03–2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थी के खाते दिनांक 07–07–2021 को कुल बकाया राशि 285976 रू. (दो लाख पिच्चासी हजार नौ सौ छिहत्तर रूपया) एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया जिसके अन्तर्गत **श्री नरेश चन्द्र पिता विटला सर्वे नं. 1391, बांसला, राम मन्दिर के पास, तहसील बागीदौरा** मे स्थित आवासीय प्लॉट जिसका कुल माप 1000 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पति का अभिन्न अंग है, जिसके पूर्व में मोहल्ले का रास्ता, पश्चिम में चोखला मेनरोड, उत्तर में मोहल्ले का रास्ता एवं दक्षिण में नंद हरि मीणा का मकान स्थित है, को प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था,

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:46 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

अधिपत्य में [illegible]

[illegible] उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में बैंक को शामिल किया है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 13-07-2021 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को रु. 2,50,000 रुपया ऋण स्वीकृत किया गया था। जिसकी एवज मे अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 02-05-2022 को जारी किया। अप्रार्थी का नोटिस दिनांक 27-05-2022 को बाद तामील प्रस्तुत हुआ किन्तु अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। दिनांक 09-06-2022 को अप्रार्थी की ओर से श्री पंकज बरोडिया अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ एवं अभिभाषक ने जवाब हेतु अल्प समय चाहा। दिनांक 15-06-2022 को अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने समय चाहा जिस पर न्यायहित मे एक बार पुनः अवसर दिया गया। जिसके पश्चात् आज पेशी दिनांक 21-06-2022 को अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अप्रार्थी को समुचित अवसर प्रदान करने के बावजुद जवाब प्रस्तुत नही किया एवं अनुपस्थित है। अप्रार्थी का जवाब बंद किया जाता है एवं एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

दिनांक 21-06-2022 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्र[illegible] स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहायता प्रदान किया [illegible] आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:46 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बागीदौरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बन्धक स्वरुप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर न अजमेर रोड, जयपुर** को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 21-06-2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:46 IST
Reason: SelfAttested